



क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board

संदर्भ सं० 267/OA-207/NGT/24
Ref. No.

दिनांक 30.07.2024
Date.....20

To,

The Registrar,
National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi.
E-Mail : judicial-ngt@gov.in

Sub: Compliance report in pursuant to the order Dated 03.05.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in OA No-207/2024, Abdhesh Shukla Versus State of Uttar Pradesh & Other

Sir,

That in Compliance of the order dated 03.05.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No.- 207/2024, Abdhesh Shukla Versus State of Uttar Pradesh & Other, the compliance report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid compliance report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Yours faithfully,

Deepa
30.7.24
(Deepa Arora)
Regional Officer

Copy :

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/N.G.T., New Delhi for perusal and necessary action please.
3. Chief Law Officer (incharge), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information and necessary action.
4. Chief Environmental Officer, Circle-2, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information and necessary action.

Regional Officer

12

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत ऑरिजिनल एप्लीकेशन नं0 207/2024
अवधेश शुक्ला बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 03.05.2024 के
सम्बन्ध में आख्या

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 03.05.2024 को ऑरिजिनल एप्लीकेशन
नं0 207/2024 अवधेश शुक्ला बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स में निम्नवत आदेश

पारित किया गया था:-

"In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and suggest appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Jalaun and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and suggest appropriate remedial action. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance"

"Report by the Joint Committee be submitted within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF"

"List for further consideration on 01.08.2024"

प्रकरण के संदर्भ में मा0 राष्ट्रीय अधिकरण हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त आदेश 03.05.2024 के अनुपालन में सदस्य सचिव उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गठित संयुक्त समिति के सदस्य के रूप में राज्य बोर्ड से श्रीमती दीपा अरोड़ा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी को समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इसी क्रम में जिलाधिकारी जालौन के पृष्ठांकन आदेश 07.06.2024 के द्वारा संयुक्त समिति के राजस्व विभाग के प्रतिनिधि के रूप में नगर मजिस्ट्रेट उरई को नामित किया गया है।

याची अवधेश कुमार शुक्ला पुत्र श्री दयाशंकर शुक्ला निवासी ग्राम व पोस्ट उरगांव तहसील व जिला जालौन मो0नं0 9554353112 के प्रार्थना पत्र दिनांक 28.08.2023 में उल्लेख किया गया है कि :-

ग्राम पंचायत उरगांव तह० जालौन में गाटा सं0-176ख, गाटा सं0-261क गाटा सं0-332ख और गाटा सं0-537क एवं 537ख तथा गाटा सं0-560 एवं गाटा सं0-573 गाटा सं0-534 मौजा उरगांव में तालाब लगभग (200 वर्षों) पुराना तालाब स्थित है, जिसमें वर्ष भर जल भराव रहता है एवं वर्षों के जल संचयन का प्रमुख स्रोत है एवं उसके आस-पास हरे भरे छायादार वृक्ष भी हैं। तालाब के जल का उपयोग समस्त ग्रामवासी एवं क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जाता है एवं घरेलू पालतू जानवरों द्वारा तालाब के जल का उपयोग किया जाता है वर्तमान समय में उपरोक्त तालाब की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करके तालाब की पुराई (मिट्टी भराई) करके मकानों का निर्माण कर लिया गया है एवं धीरे-धीरे तालाब के मूल स्वरूप में परिवर्तन कर तालाब की भूमि पर कब्जा करके मकानों







का निर्माण करा लिया है एवं घरों (मकानों) की गन्दगी (सीवर व नाली) का पानी तालाब में गिराया जा रहा है, जिससे तालाब का पानी उपयोग हेतु नहीं रह गया है। समस्त ग्रामवासियों द्वारा उपरोक्त प्रकरण के संदर्भ में दिनांक 12.08.2023 को सम्पूर्ण समाधान दिवस में स्थानीय प्रशासन को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया परन्तु स्थानीय प्रशासन द्वारा उपरोक्त गाटा संख्या की अभी तक कोई पैमाईश नहीं कराई है न ही मौके पर जाकर कोई जांच की गयी है। इसके पूर्व भी कई बार मौखिक व लिखित रूप से स्थानीय प्रशासन को शिकायती प्रार्थना पत्र दिये गये परन्तु उन सभी को नजरअंदाज कर दिया गया एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा दुलमूल रवैया अपनाया जा रहा है जिससे आने वाले समय में प्राचीन तालाब का स्वरूप समाप्त हो जायेगा। उपरोक्त ग्राम बुन्देलखण्ड क्षेत्र में आता है तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जल का वर्तमान स्तर काफी नीचे है एवं जल संचयन के जो भी केन्द्र हैं उन पर अतिक्रमण कारियों द्वारा कब्जा करके मकानों का निर्माण करा लिया गया है। वर्षों का जल संचयन नहीं हो पा रहा है जिसके कारण से जल स्तर नीचे है। ग्राम उरगांव में जल संचयन एवं सार्वजनिक जल उपयोग का प्रमुख केन्द्र उपरोक्त गाटा संख्या में निर्मित प्राचीन तालाब ही है जिससे ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों तथा पालतू जानवरों तथा पेड़ पौधों के उपयोग के लिये एक मात्र विकल्प तालाब है जिसके जल का उपयोग सभी के द्वारा किया जाता है तथा ग्राम उरगांव में मा० प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० सरकार द्वारा हर घर नल जल योजना का समस्त ग्रामवासी स्वागत करते हैं वर्तमान समय में हर घर जल योजना के लिये पानी की टंकी के निर्माण में हरे भरे छायादार वृक्षों की अवैध कटान करके नुकसान पहुंचाया जा रहा है जबकि पानी की टंकी के लिये अन्य कई सुलभ और परती जमीन उपलब्ध है जिससे बिना हरे भरे पेड़ों को नुकसान पहुंचाये बिना पानी की टंकी का निर्माण कराया जा सकता है परन्तु जानबूझकर हरे भरे पेड़ों की कटान की जा रही है एवं तालाब की भूमि पर कब्जा कर मकानों का निर्माण किया जा रहा है। उपरोक्त प्रकरण पर उच्च स्तरीय जांच कराकर उपरोक्त समस्त गाटा संख्या की पैमाईश कर अतिक्रमण एवं अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाये एवं तालाब की भूमि को खाली कराया जाये तथा तालाब का जीर्णोद्धार कराया जाये जिससे उपरोक्त प्राचीन तालाब का जल पुनः उपयोग में लाया जा सके एवं हरे भरे पेड़ों की अवैध कटान को रोक कर अन्य खाली परती जमीनों पर पानी की टंकी का निर्माण हो सके एवं तालाब के किनारे एवं अन्य खाली पड़ी परती, ऊसर, बंजर जमीनों पर मियावाकी पद्धति से हरे भरे छायादार, फलदार, आयुर्वेदिक देशी प्रजातियों के पौधे इत्यादि वृक्षों एवं पौधों को रोपित कराया जाये तथा वर्षा के जल का संचयन भी सुचारु रूप से हो सकेगा जिससे क्षेत्र के जल स्तर में काफी सुधार आयेगा एवं पर्यावरण की दृष्टि से भी काफी उपयोगी होगा जिसका लाभ समस्त आम

Deepa

L

de

जनमानस सहित समस्त ग्राम एवं क्षेत्रवासियों को मिलेगा इस प्रकार की पद्धति का उपयोग करके अन्य ग्रामों में भी मियावाकी पद्धति का प्रचलन होगा।

प्रकरण के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी जालौन से पैमाइश आख्या प्राप्त की गयी जिसमें अवगत कराया गया कि 1- ग्राम उरगांव के गाटा सं० 176ख रकबा 0.113हे० (तालाब) की मौके पर पैमाइश उपरान्त तालाब का रकबा सुरक्षित पाया गया, जबकि 176क रकबा 0.012हे० में खेमराज आदि के नाम अंकित है जो अपनी जगह काबिज है।

2- ग्राम उरगांव के गाटा सं० 332ख रकबा 0.680हे०(तालाब) की मौके पर पैमाइश उपरान्त तालाब में रकबे पर अस्थायी कब्जा पाया गया, जिसे मौके पर प्रधान की सहायता से हटवा दिया गया, जबकि गाटा सं० 332क रकबा 0.202हे० में रामदास आदि के नाम अंकित है, जो अपनी जगह काबिज है।

3- ग्राम उरगांव के गाटा सं० 261क रकबा 1.254हे० (तालाब) की मौके पर पैमाइश उपरान्त तालाब का रकबा सुरक्षित पाया गया, जबकि 261क रकबा 0.405हे० में गिरजाशंकर के नाम अंकित है, जो अपनी जगह काबिज है।

4- गाटा सं० 531ख रकबा 0.049हे०(तालाब)की पैमाइश उपरान्त तालाब का रकबा सुरक्षित पाया गया, जबकि 537क रकबा 0.494हे० रामदास आदि के नाम अंकित है, जो अपनी जगह काबिज है।

5- गाटा सं० 560 रकबा 0.085हे० (तालाब)की पैमाइश उपरान्त तालाब का रकबा सुरक्षित पाया गया एवं गाटा सं० 573 रकबा 0.514हे०(तालाब) पर पैमाइश उपरान्त सुरक्षित पाया गया।

6- गाटा सं० 534 रकबा 0.470हे० पर राजस्व भू-अभिलेखों में रामदास आदि के नाम अंकित है।

शिकायतकर्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में हर घर नल योजना हेतु पानी की टंकी के निर्माण के संदर्भ में शिकायत की गयी है जिसके सम्बन्ध में जांच उपरान्त यह संज्ञानित हुआ कि हर घर जल योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका ग्राम पंचायत में क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा योजना का वृहद स्तर पर कार्य हो चुका है जिसमें अब कोई परिवर्तन किया जाना ग्राम वासियों के हित में नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार याची द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष ऑरिजिनल एप्लीकेशन नं० 207/2024 अबधेश शुक्ला बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एण्ड अदर्स में पारित आदेश के अनुपालन में समिति द्वारा दिनांक 11.07.2024 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। उपजिलाधिकारी जालौन की पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 26.06.2024 से स्पष्ट है कि ग्राम उरगांव के गाटा संख्या 176ख रकबा 0.113हे०, गाटा सं० 261क रकबा 1.254हे०, गाटा सं० 531ख रकबा 0.049हे०, गाटा सं० 560 रकबा 0.085हे० तालाब का रकबा है जिसकी पैमाइश उपरान्त तालाबों के गाटा संख्याओं पर कोई कब्जा नहीं पाया गया तथा तालाब की गाटा संख्या 332ख रकबा 0.680हे० पर अस्थायी कब्जा पाया गया जिसे तत्काल ग्राम प्रधान की सहायता से हटवा दिया गया है, जिसकी पुष्टि स्थलीय निरीक्षण से भी होती है। तालाब की सफाई व सौन्दर्यीकरण तथा आस-पास सफाई व्यवस्था के लिए ग्राम प्रधान को निर्देशित

Jeppa

L


de

किया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान गाटा संख्या 332ख रकवा 0.680हे0 (तालाब) एवं 531ख रकवा 0.049हे0 (तालाब) के जल का नमूना एकत्रित किया गया, जिसके विश्लेषणोंपरान्त प्राप्त आख्या के अनुसार तालाब का जल जलीय जीव जन्तुओं के उत्तरजीविका हेतु उचित है। तालाब से एकत्रित जल नमूने सतही जल के सभी मानकों के अनुरूप हैं और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली के गाइडलाइन के अनुसार जल गुणवत्ता मापदण्ड में तालाब के जल की श्रेणी डी है।

तदनुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत ऑरिजिनल एप्लीकेशन नं0 207/2024 अबधेश शुक्ला बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स के संदर्भ में यद्यपि ग्राम उरगांव के गाटा संख्या 176ख रकवा 0.113हे0, गाटा सं0 261क रकवा 1.254हे0, गाटा सं0 531ख रकवा 0.049हे0, गाटा सं0 560 रकवा 0.085हे0 तालाब की पैमाइश के उपरान्त उक्त तालाबों के गाटा संख्याओं पर कब्जा नहीं पाये जाने तथा गाटा संख्या 332ख रकवा 0.680हे0 पर अस्थायी कब्जे को ग्राम प्रधान की सहायता से हटवाये जाने से प्रार्थना पत्र का निस्तारण हो जाने के कारण तथा हर घर नल योजना के संदर्भ में शिकायतकर्ता द्वारा योजना को अन्यंत्र स्थापित किये जाने का कोई ठोस आधार न होने तथा योजना का वृहद स्तर पर कार्य पूर्ण हो जाने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत ऑरिजिनल एप्लीकेशन नं0 207/2024 अबधेश शुक्ला बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स निक्षेपित किए जाने योग्य है तथापि प्रश्नगत ग्राम पंचायत में तालाबों के संरक्षण तथा प्रदूषण से बचाव हेतु निम्नवत कार्यवाही किया जाना उचित होगा:-

- 1-ग्राम पंचायत द्वारा समस्त तालाबों के पुर्नधार हेतु कार्ययोजना बनाकर प्रभावी कार्यवाही।
- 2-नियमित अंतराल पर ग्राम पंचायत के प्रत्येक तालाब की पैमाइश तथा अनुरक्षण।
- 3-तालाबों के आस-पास पर्यावरण संरक्षण हेतु वृहद स्तर पर वृक्षारोपण।
- 4-सम्बन्धित ग्राम पंचायत के शासकीय कर्मचारियों यथा ग्राम पंचायत सचिव, लेखपाल, रोजगार सेवक इत्यादि द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण।

इस संदर्भ में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश भी निर्गत कर दिए गए हैं।
 नापवाही का अनुज्ञापत्र किया जा रहा है।
 संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।




(दीपा अरोड़ा)
 क्षेत्रीय अधिकारी,

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झांसी



(अजीत कुमार जायसवाल)
 नगर मजिस्ट्रेट, उरई,
 जनपद जालौन।



जिलाधिकारी,
 जनपद जालौन।



**REGIONAL LABORATORY JHANSI
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

Avas Vikas Colony, Talpura Yojna, Kanpur Road, Jhansi

TEST REPORT: WATER LABORATORY (SURFACE WATER)

Ref no-27216834/Jhansi/2024

Date:23/07/2024

- 1- Sample Location: GAUSALA BALA TALAB
- 2- District: Jalaun
- 3- Address: Village-Urgaon, Jalaun
- 4- Sample Source: Pond
- 5- Type of sample : Surface Water
- 6- Sample Collected By : Anil Kumar Sharma, SA
- 7- Odour : Foul
- 8- Quantity and Packing : 2 Litre Plastic Jerian
- 9- Date of Sample Collection : 11/07/2024
- 10- Analysis Indented by : RO Jhansi
- 11- Date of sample receipt in Lab : 12/07/2024

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH, APHA24th Ed.4500-B: 2023	-	10.2	02-12
Turbidity, APHA24th Ed 2130B	N.T.U	30	1-500NTU
Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	125	5-10000 Hazen
Conductivity, APHA 24th Ed. 2510B :2023	μ S/cm	2520	0.1-10000 μ S/cm
Suspended Solids , APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	783.00	5.0 -10000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 °C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	1406.00	5.0 -10000 mg/l
Total Solids, APHA24th Ed2540B: 2023	mg/l	2204.00	5.0 -15000 mg/l
Hardness, APHA 24th Ed. 2340 °C EDTA Titrimetric Method 2023	mg/l	166.0	10.0 -5000 mg/l
Calcium, APHA 24th Ed. 3500Ca-B:2023	mg/l	152.0	10.0 -1000 mg/l
Magnesium, APHA 24th Ed 3500Mg B: 2023	mg/l	14.0	10-1000 mg/l
Chloride, APHA24th Ed 4500-Cl- B: 2023	mg/l	45.0	3.0 - 500 mg/l
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio: 2023	mg/l	13.0	1.0 -1000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	41.4	4.0 -1000 mg/l
D.O. , APHA 24th Ed. 4500-OB Iodometric Method 2023	mg/l	5.2	0.2-14.0 mg/l

*Non-NABL Parameters.

Note : 1. The results in the Test Report relate only to the items tested. 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:* - NA

Analysed by
[S]hi Kumar Kushwaha (LA), Manoj
Verma(JRF), Krishna Rawat(JRF),
Anil Kumar Sharma(SA), Abhishek
Kumar(LA)]

Authorized by
MADHAVI
KAMALVANSHI
Dr Madhvi Kamalvanshi (SO)

Deepa
Arora

Digitally signed by
Deepa Arora
Date: 2024.07.25
10:51:35 +05'30'
Regional Officer

Water Quality Criteria

Designated-Best-Use	Class of water	Criteria
Drinking Water Source without conventional treatment but after disinfection	A	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 50 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 6mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 2mg/l or less
Outdoor bathing (Organised)	B	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 500 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 5mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 3mg/l or less
Drinking water source after conventional treatment and disinfection	C	Total coliforms Organism MPN/100ml shall be 5000 or less pH between 6 to 9 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 3mg/l or less
Propagation of Wild life and Fisheries	D	pH between 6.5 to 8.5 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Free Ammonia (as N) 1.2 mg/l or less
Irrigation, Industrial Cooling, Controlled Waste disposal	E	pH between 6.0 to 8.5 Electrical Conductivity at 25 °C micro mhos/cm Max. 2250 Sodium absorption Ratio Max. 26 Boron Max. 2mg/l

Source: <http://www.epcb.nic.in/wqstandards/>



**REGIONAL LABORATORY JHANSI
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

Avas Vikas Colony, Talpura Yojna, Kanpur Road, Jhansi

TEST REPORT: WATER LABORATORY(SURFACE WATER)

Ref no-27216049/Jhansi/2024

Date:23/07/2024

- 1- Sample Location: HOLI KA TALAB
- 2- District: Jalaun
- 3- Address: Village-Urgaon, Jalaun
- 4- Sample Source: Pond
- 5- Type of sample : Surface Water
- 6- Sample Collected By : Anil Kumar Sharma, SA
- 7- Odour : Foul
- 8- Quantity and Packing : 2Litre Plastic Jerian
- 9- Date of Sample Collection : 11/07/2024
- 10- Analysis Indented by : RO Jhansi
- 11- Date of sample receipt in Lab : 12/07/2024

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH, APHA24th Ed.4500-B: 2023		10.81	02-12
Turbidity, APHA24th Ed 2130B	N.T.U	30	1-500NTU
Colour, APHA 24th Ed. 2120B: 2023	Hazen	225	5-10000 Hazen
Conductivity, APHA 24th Ed. 2510B :2023	$\mu\text{S}/\text{cm}$	2750	0.1-10000 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	727.00	5.0 -10000 mg/l
Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 °C Total Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	1509.00	5.0 -10000 mg/l
Total Solids, APHA24th Ed2540B: 2023	mg/l	2264.00	5.0 -15000 mg/l
Hardness, APHA 24th Ed. 2340 °C EDTA Titrimetric Method 2023	mg/l	152.0	10.0 -5000 mg/l
Calcium, APHA 24th Ed. 3500Ca-B:2023	mg/l	106.0	10.0 -1000 mg/l
Magnesium, APHA 24th Ed 3500Mg B: 2023	mg/l	46.0	10-1000 mg/l
Chloride, APHA24th Ed 4500-Cl- B: 2023	mg/l	40.0	3.0 - 500 mg/l
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	16.0	1.0 -1000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	55.2	4.0 -1000 mg/l
D.O., APHA 24th Ed. 4500-OB Iodometric Method 2023	mg/l	4.96	0.2-14.0 mg/l

*Non-NABL Parameters.

Note : 1. The results in the Test Report relate only to the items tested. 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:* - NA

Analysed by
[Anil Kumar Kushwaha (LA), Manoj
Verma(JRF), Krishna Rawat(JRF),
Anil Kumar Sharma(SA), Abhishek
Kumar(LA)]

Authorized by
MADHAVI
KAMALVANSHI
Dr Madhvi Kamalvanshi (SO)

Digitally signed by MADHAVI
KAMALVANSHI
Date: 2024.07.23 10:51:10 +05'30'

Deepa
Arora

Digitally signed by
Deepa Arora
Date: 2024.07.25
10:53:17 +05'30'
Regional Officer

Water Quality Criteria

Designated-Best-Use	Class of water	Criteria
Drinking Water Source without conventional treatment but after disinfection	A	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 50 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 6mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 2mg/l or less
Outdoor bathing (Organised)	B	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 500 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 5mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 3mg/l or less
Drinking water source after conventional treatment and disinfection	C	Total coliforms Organism MPN/100ml shall be 5000 or less pH between 6 to 9 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 °C 3mg/l or less
Propagation of Wild life and Fisheries	D	pH between 6.5 to 8.5 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Free Ammonia (as N) 1.2 mg/l or less
Irrigation, Industrial Cooling, Controlled Waste disposal	E	pH between 6.0 to 8.5 Electrical Conductivity at 25 °C micro mhos/cm Max.2250 Sodium absorption Ratio Max. 26 Boron Max. 2mg/l

Source: <http://www.cpcb.nic.in/wqstandards/>

पत्रांक- 202/एसओटी-एसओसीएमओ जालौन।

दिनांक- 29 जून 2024

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी भूलेख (क0प्र0)
जालौन स्थान उरई।

विषय:- श्री अवधेश कुमार शुक्ला पुत्र श्री दयाशंकर शुक्ला निवासी ग्राम उरगाँव तहसील व जनपद जालौन के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जाँच आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 584/आठ-डी0एल0आर0सी0 दिनांक 21.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शिकायतकर्ता श्री अवधेश कुमार शुक्ला द्वारा ग्राम उरगाँव तहसील जालौन में स्थित तालाब पर किये गये अद्वैत अतिक्रमण एवं कब्जे के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

उक्त के क्रम में तहसीलदार जालौन से नियमानुसार टीम गठित कर जाँच कराकर आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार जालौन द्वारा प्रेषित विन्दुवार जाँच आख्या दिनांक 29.06.2024 निम्नवत् है-

01. ग्राम उरगाँव के गाटा सं0 176ख रकबा 0.113हे0 (तालाब) की मौके पर पैमाइश उपरान्त तालाब का रकबा सुरक्षित पाया गया, जबकि 176क रकबा 0.012हे0 में खेमराज आदि के नाम अंकित है, जो अपनी जगह काबिज हैं।
02. ग्राम उरगाँव के गाटा सं0 332ख रकबा 0.680हे0 (तालाब) की मौके पर पैमाइश उपरान्त तालाब के रकबे पर अस्थायी कब्जा पाया गया, जिसे मौके पर प्रधान की सहायता से हटवा दिया गया, जबकि गाटा सं0 332क रकबा 0.202हे0 में रामदास आदि के नाम अंकित हैं, जो अपनी जगह काबिज हैं।
03. ग्राम उरगाँव के गाटा सं0 261क रकबा 1.254हे0 (तालाब) की मौके पर पैमाइश उपरान्त तालाब का रकबा सुरक्षित पाया गया, जबकि 261क रकबा 0.405हे0 में गिरजाशंकर के नाम अंकित है, जो अपनी जगह काबिज हैं।
04. ग्राम उरगाँव के गाटा सं0 531ख रकबा 0.049हे0 (तालाब) की मौके पर पैमाइश उपरान्त तालाब का रकबा सुरक्षित पाया गया, जबकि 537क रकबा 0.494हे0 रामदास आदि के नाम अंकित है, जो अपनी जगह काबिज हैं।
05. ग्राम उरगाँव के गाटा सं0 560 रकबा 0.085हे0 (तालाब) की मौके पर पैमाइश उपरान्त तालाब का रकबा सुरक्षित पाया गया एवं गाटा सं0 573 रकबा 0.514हे0 (तालाब) पर पैमाइश उपरान्त तालाब का रकबा सुरक्षित पाया गया।
06. गाटा सं0 534 रकबा 0.470हे0 पर राजरव भू-अभिलेखों में रामदास आदि के नाम अंकित है।

उक्त जाँच आख्या सादर प्रेषित है।
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


उप जिलाधिकारी, जालौन
जिला-जालौन

महोदय,

कृपया कार्यालय जिलाधिकारी जालौन के पत्रांक 584/आ0डी0एल0आर0सी0 दिनांक 21.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके तहत श्री अवधेश कुमार शुक्ला पुत्र दयाशंकर शुक्ला नि0ग्राम उरगांव तहसील जालौन के शिकायती प्रार्थना पत्र, जिसमें ग्राम उरगांव के तालाबों के गाटा सं0 176ख, 261क, 332ख, 537ख, 537क, 560, 573 और 534 पर अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की गई, के निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये।

प्रश्नगत प्रकरण की गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु कार्यालय तहसीलदार, जालौन के पत्रांक 31/रा0नि0कार्या0 दिनांक 18.06.2024 के अन्तर्गत राजस्व टीम का गठन किया गया। राजस्व टीम द्वारा दिनांक 26.06.2024 ग्राम उरगांव में उक्त शिकायत के सन्दर्भ में स्थलीय निरीक्षण किया, निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि-

1. ग्राम उरगांव के गाटा सं0 176ख रकबा 0.113हे0 (तालाब), मौके पर पैमाइश उपरान्त तालाब का रकबा सुरक्षित पाया गया। जबकि 176क रकबा 0.012हे0 में खेमराज, आदि के नाम अंकित है, जो अपनी जगह पर काबिज है।
2. ग्राम उरगांव के गाटा सं0 332ख रकबा 0.680हे0 (तालाब), मौके पर पैमाइश उपरान्त तालाब के रकबे पर अस्थाई कब्जा पाया गया, जिसे मौके पर प्रधान की सहायता से हटवा दिया गया, जबकि गाटा सं0 332क रकबा 0.202हे0 में रामदास आदि के नाम अंकित है, जो अपनी जगह पर काबिज है।
3. ग्राम उरगांव के गाटा सं0 261क रकबा 1.254हे0 (तालाब), मौके पर पैमाइश उपरान्त तालाब का रकबा सुरक्षित पाया गया, जबकि 261क रकबा 0.405हे0 में गिरजाशंकर के नाम अंकित है जो अपनी जगह पर काबिज है।
4. ग्राम उरगांव के गाटा सं0 537ख रकबा 0.049हे0 (तालाब), मौके पर पैमाइश उपरान्त तालाब का रकबा सुरक्षित पाया गया, जबकि 537क रकबा 0.494हे0 रामदास आदि के नाम अंकित है। जो अपनी जगह काबिज है।
5. ग्राम उरगांव के गाटा सं0 560 रकबा 0.085हे0 (तालाब), मौके पर पैमाइश उपरान्त तालाब का रकबा सुरक्षित पाया गया एवं गाटा संख्या 573 रकबा 0.514हे0 (तालाब) पर पैमाइश उपरान्त तालाब का रकबा सुरक्षित पाया गया।
6. गाटा संख्या 534 रकबा 0.470हे0 पर राजस्व भू0-अभिलेखों में रामदास आदि के नाम अंकित है।

उक्त जाँच आख्या सादर प्रेषित।

संलग्नक:- स्पॉट मेमो

मौके की फोटो

लि.क.
दिनांक 23/06/24
पैमाइश
कर्मचारी


महोदय
कर्मचारी

राजस्व
टीम द्वारा

पैमाइश करायी जायेगी। राजस्व टीम द्वारा
नामक तहसीलदार व राजस्व टीम द्वारा
आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।
23/06/24



गावा संख्या - 332 ख, रकबा - 0.680 हे०



जल नमूना एकत्रण



